7

अध्याय

7 अध्याय

मानव संसाधन प्रबंधन

7.1 परिचय

भारत सरकार ने गंगा नदी के पुर्नउद्धार हेतु केन्द्रीय तथा राज्य स्तर पर विभिन्न संस्थानों की स्थापना की। केन्द्रीय स्तर पर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एन.एम.सी.जी.) एक क्रियान्वयन अभिकरण है। चार राज्यों (बिहार, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल) में राज्य कार्यक्रम प्रबंधन समूह (एस.पी.एम.जी.एस) है। झारखण्ड में राज्य शहरी विकास विभाग में कार्यक्रम कार्यान्वयन हेतु एक नोडल सेल है। आगे, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी.पी.सी.बी.) तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एस.पी.सी.बी.) प्रदूषण के उन्मूलन हेतु अधिनियमों तथा नियमों का प्रवर्तन करते है।

एन.एम.सी.जी., महानिदेशक के अधीन है जिन्हें उप महानिदेशक (डी.डी.जी.) तथा कार्यकारी निदेशकों (ई.डी.) द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है। वर्तमान संगठनात्मक ढाँचा चार्ट 7.1 में दिया गया है।

चार्ट 7.1 : एन.एम.सी.जी. का संगठनात्मक ढाँचा

यह अध्याय एन.एम.सी.जी., एस.पी.एम.जी., सी.पी.सी.बी. तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों में श्रमशक्ति की कमी तथा स्टाफ से संबंधी मुद्दों से संबंधित है। लेखापरीक्षा जाँच परिणाम की चर्चा आगामी अनुच्छेदों में की गई है।

7.2 मानव संसाधनों की कमी

7.2.1 एन.एम.सी.जी. में अपर्याप्तता

नमामि गंगे पर ई.एफ.सी. ज्ञापन में, एन.एम.सी.जी. ने संस्वीकृत 58 पदों से 111 की वृद्धि परिकल्पित की। मंत्रिमंडल के (मई 2015) अनुमोदन के अनुसार कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक सुदृढ़ीकरण तथा क्षमता वृद्धि का पालन किया जाना था।

2014-17 के दौरान एन.एम.सी.जी. में मानव संसाधनों का वर्गवार विवरण तालिका 7.1 में दिखाया गया है:-

तालिका 7.1: 2014-17 के दौरान एन.एम.सी.जी. में वर्गवार संस्वीकृत संख्या तथा व्यक्तियों की स्थिति

वर्ग	31.03.2014				30.03.2015				31.03.2016				31.03.2017			
	संस्वीकृत संख्या	व्यक्तियों की संख्या	कमी	कमी (प्रतिशत)	संस्वीकृत संख्या	व्यक्तियों की संख्या	कमी	कमी (प्रतिशत)	संस्वीकृत संख्या	व्यक्तियों की संख्या	कमी	कमी (प्रतिशत)	संस्वीकृत संख्या	व्यक्तियों की संख्या	कमी	कमी (प्रतिशत)
तकनीकी	23	7	16	70	23	7	16	70	23	6	17	74	23	12+2*	9	39
प्रशासनिक	29	9	20	69	29	9	20	69	29	12	17	59	29	10+4**	15	52
सहायक	5	5	0	0	5	4	1	20	5	3	2	40	5	4	1	20
कुल	**57**	**21**	**36**	**63**	**57**	**20**	**37**	**65**	**57**	**21**	**36**	**63**	**57**	**32**	**25**	**44**

स्रोतः एन.एम.सी.जी. द्वारा प्रदत्त जानकारी

***ई.डी. (परियोजना), ई.डी. (तकनीकी)**

****डी.जी., डी.डी.जी., ई.डी. (प्रशासन) तथा ई.डी. (वित्त)**

तालिका 7.1 दर्शाती है कि वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान 44 प्रतिशत से 65 प्रतिशत की कुल कमी रही। तकनीकी वर्ग के अंतर्गत 39 से 74 प्रतिशत की कमी थी।

एन.एम.सी.जी. में 16 सरकारी कर्मचारियों को छोड़कर, जो कि प्रति नियुक्ति पर है, सभी पदों पर संविदात्मक कर्मचारी कार्यरत है। आगे, एन.एम.सी.जी. ने संस्वीकृत पदों की संख्या में वृद्धि नहीं की।

एन.एम.सी.जी. ने (अगस्त 2017) में सहमति दी तथा सूचित किया कि 14 पदों के संचालन हेतु अनुमोदन के लिए एक प्रस्ताव प्रक्रिया में है। आगे, एन.एम.सी.जी. ने कहा कि 18 तकनीकी विशेषज्ञों की नियुक्ति के द्वारा कमी की क्षतिपूर्ति की गई है।

तथ्य यह है कि एन.एम.सी.जी. हेतु समर्पित मानव संसाधन नहीं था तथा 2014-15 से 2016-17 के दौरान एन.एम.सी.जी. में सभी स्तरों पर सतत कमी रही।

7.2.2 एस.पी.एम.जी. में अपर्याप्ता

समग्र संस्वीकृत संख्या की तुलना में व्यक्तियों की स्थिति तालिका 7.2 में नीचे दर्शाई गई है।

तालिका 7.2: 2014-17 के दौरान राज्य वार एस.पी.एम.जी. की संस्वीकृत संख्या एवं व्यक्तियों की स्थिति

		बिहार			झारखण्ड			उत्तर प्रदेश			उत्तराखण्ड			पश्चिम बंगाल			कुल		
वर्ग		टी	ए	एस	टी	ए	एस	टी	ए	एस	टी	ए	एस	टी	ए	एस	टी	ए	एस
31.03.2014	एस.एस.	28	2	4	8	2	8	24	3	10	6	7	6	4	6	3	70	20	31
	पी.आई.पी.	0	2	0	0	2	5	2	2	3	4	3	5	2	4	1	8	13	14
	वी.	**28**	**0**	**4**	**8**	**0**	**3**	**22**	**1**	**7**	**2**	**4**	**1**	**2**	**2**	**2**	**62**	**7**	**17**
कमी (प्रतिशत)																	**89**	**35**	**55**
31.03.2015	एस.एस.	28	2	4	8	2	8	27	3	14	5	8	6	4	6	3	72	21	35
	पी.आई.पी.	3	2	3	1	2	4	9	3	14	3	4	4	2	4	2	18	15	27
	वी.	**25**	**0**	**1**	**7**	**0**	**4**	**18**	**0**	**0**	**2**	**4**	**2**	**2**	**2**	**1**	**54**	**6**	**8**
कमी (प्रतिशत)																	**75**	**29**	**23**
31.03.2016	एस.एस.	28	2	4	8	2	8	27	3	14	5	8	6	4	6	3	72	21	35
	पी.आई.पी.	3	2	3	1	2	4	9	3	14	4	5	5	2	4	2	19	16	28
	वी.	**25**	**0**	**1**	**7**	**0**	**4**	**18**	**0**	**0**	**1**	**3**	**1**	**2**	**2**	**1**	**53**	**5**	**7**
कमी (प्रतिशत)																	**74**	**24**	**20**
31.03.2017	एस.एस.	28	2	4	8	2	8	27	3	14	5	8	6	4	6	3	72	21	35
	पी.आई.पी.	3	2	3	1	1	4	6	3	14	4	4	5	3	4	2	17	14	28
	वी.	**25**	**0**	**1**	**7**	**1**	**4**	**21**	**0**	**0**	**1**	**4**	**1**	**1**	**2**	**1**	**55**	**7**	**7**
																	76	**33**	**20**

टी = तकनीकी/विशेषज्ञ; ए = प्रशासनिक; एस = सहायक स्टाफ

एस.एस. = संस्वीकृत संख्या; पी.आई.पी. = व्यक्तियों की स्थिति; वी = रिक्त

स्रोतः एस.पी.एम.जी. द्वारा प्रदत्त जानकारी

तालिका 7.2 दर्शाती है कि तकनीकी/विशेषज्ञों, प्रशासनिक तथा सहायक स्टाफ के वर्गों के अंतर्गत समग्र कमी क्रमशः 74 से 89, 24 से 35 तथा 22 से 55 प्रतिशत की रेंज में थी। तकनीकी/विशेषज्ञों की राज्यवार रिक्तियाँ 20 से 100 प्रतिशत थी। बिहार में, 2014-17 के दौरान 25 से 28 (89 से 100 प्रतिशत) संख्या में तकनीकी पद रिक्त पड़े रहे।

स्टाफ की कमी की वजह से, एस.पी.एम.जी., परियोजना नियोजन, निधि का आंकलन तथा निगरानी हेतु काफी हद तक कार्यान्वयन अभिकरणों पर निर्भर थे जिससे इसके कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। आगे, एन.एम.सी.जी. ने एस.पी.एम.जी. के मानव संसाधनों के सुदृढ़ीकरण हेतु किसी भी प्रस्ताव की पहल नहीं की।

एन.एम.सी.जी. ने कहा (अगस्त 2017) कि एस.पी.एम.जी. के संवर्ग वृद्धि और आवश्यकता नहीं हैं, क्योंकि एस.पी.एम.जी. को आवंटित काफी पद रिक्त रहे।

एन.एम.सी.जी. को रिक्त पदों को भरने हेतु एस.पी.एम.जी. के साथ अविलम्ब समन्वय की आवश्यकता है।

7.2.3 सी.पी.सी.बी. में अपर्याप्तता

सी.पी.सी.बी. में वैज्ञानिक, तकनीकी तथा प्रशासनिक संवर्गों में स्टाफ की कमी थी। मार्च 2017 को 15 प्रतिशत वैज्ञानिक पद, 35 प्रतिशत तकनीकी पद रिक्त रहे जैसा कि तालिका 7.3 में दर्शाया गया है।

तालिका 7.3: 2014-17 के दौरान सी.पी.सी.बी. की वर्गवार संस्वीकृत संख्या तथा व्यक्तियों की स्थिति

संवर्ग	2014-15			2015-16			2016-17		
	एस.एस.	पी.आई.पी.	वी.	एस.एस.	पी.आई.पी.	वी.	एस.एस.	पी.आई.पी.	वी.
वैज्ञानिक	290	244	46	286	244	42	286	242	44
तकनीकी	45	27	18	45	28	17	43	28	15
प्रशासनिक	160	119	41	160	120	40	160	115	45
सहायक	44	43	1	44	42	2	44	41	3

एस.एस. = संस्वीकृत संख्या; पी.आई.पी. = व्यक्तियों की स्थिति; वी = रिक्त

स्रोतः सी.पी.सी.बी. द्वारा प्रदत्त जानकारी

7.2.4 एस.पी.सी.बी. में अपर्याप्तता

2014-17 के दौरान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों में कमियाँ नीचे दी गई हैः-

(क) **बिहारः** जून 2017 को कुल 76 प्रतिशत पद रिक्त थे।

(ख) **झारखण्डः** पर्यावरण अभियंता, वैज्ञानिक सहायक, प्रयोगशाला सहायक, नमूना संग्राहक इत्यादि के 271 पदों में से, मार्च 2017 को 198 (73 प्रतिशत) पद रिक्त पड़े थे।

(ग) **उत्तराखण्डः** सभी वर्गों में स्टाफ की कमी थी। वैज्ञानिक तथा तकनीकी संवर्गों में 56 से 71 प्रतिशत की रेंज में कमी थी।

(घ) **उत्तर प्रदेशः** वैज्ञानिक तथा तकनीकी संवर्गों के 397 पदों[87] में से, 101 पदें[88] (25 प्रतिशत) मार्च 2017 को रिक्त पड़े थे।

इस प्रकार, यह देखा जा सकता है कि सी.पी.सी.बी. तथी एस.पी.सी.बी. में मानव संसाधनों में कमी थी।

7.3 स्टाफ नियुक्ति में अनियमितताएँ

एन.एम.सी.जी. के उप नियमों के अनुसार (जुलाई 2011) पदों को नियुक्ति व्यक्तियों द्वारा या जो कि प्रतिनियुक्ति या अनुबंध आधार पर भरा जाना था तथा स्टाफ के सेवा नियमों को शासकीय परिषद् (जी.सी.) द्वारा अनुमोदित किया जाना था। महानिदेशक, एन.एम.सी.जी. द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं हेतु स्टाफ की नियुक्ति कर सकते थे। तथापि, एन.एम.सी.जी. में पदों के सृजन हेतु शासकीय परिषद तथा भारत सरकार का अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए।

हमने पाया कि एन.एम.सी.जी. ने जी.सी. की अनुमति प्राप्त किए बिना, 14[89] सलाहकारों, चार[90] परियोजना अधिकारियों तथा दो[91] अनुसंधान अधिकारियों को अनुबंधात्मक आधार पर नियुक्त किया। एन.एम.सी.जी. ने भर्ती नियमों को तैयार नहीं किया। आगे, एन.एम.सी.जी. द्वारा विभिन्न पदों (वर्ग ए, बी, सी, डी तथा ई) हेतु योग्यता मानदण्ड तथा निर्धारित समेकित प्रति माह पैकेज जी.सी. तथा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं कराये गए।

अतः एन.एम.सी.जी. द्वारा स्टाफ की नियुक्ति हेतु उपनियमों की अवज्ञा की गई।

एन.एम.सी.जी. ने बताया (अगस्त 2017) कि यह एक अस्थायी निकाय है जिसमें भर्ती आवश्यकता आधार पर की जाती है।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि स्टाफ की नियुक्ति हेतु एन.एम.सी.जी. द्वारा जी.सी. तथा भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया।

---

87 139 वैज्ञानिक तथा 258 तकनीकी पद

88 29 वैज्ञानिक तथा 72 तकनीकी पद

89 एक नवम्बर 2011 में, एक मई 2012 में, चार 2014 में, दो 2014-15 में, पाँच 2016 में तथा एक 2017 में

90 अक्टूबर, नवम्बर 2016

91 सितम्बर 2014

7.3.1 अनुचित वेतन संरचना तथा भुगतान

व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय (एम.ओ.एफ.) के आदेशानुसार (अक्टूबर 1984), वेतनमान, भत्तों के अभिग्रहण और इनके पुनरीक्षण तथा स्वायत्त निकायों में वित्त मंत्रालय के सलाह के साथ भारत सरकार से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता है।

एन.एम.सी.जी. ने भारत सरकार के अंतर्गत स्वायत्त निकायों तथा सोसाइटी के समान रोजगार ढ़ाँचे का अनुपालन किए बिना विभिन्न पदों[92] जैसे बी, सी, डी तथा ई को अभिग्रहित तथा वेतनमान को अनुमोदित किया, जैसा कि तालिका 7.4 में विस्तृत हैः-

तालिका 7.4: एन.एम.सी.जी. तथा भारत सरकार के वेतनमान की तुलना

एन.एम.सी.जी. में समूह	एन.एम.सी.जी. द्वारा अपनाया गया पारिश्रमिक (लाख में)	भारत सरकार वेतनमान (₹)
बी - वरिष्ठ विशेषज्ञ	1.50 से 2.00	पी.बी-4: 37,400-67,000 (ग्रेड पे 8,700 से 10,000)
सी - विशेषज्ञ	1.00 से 1.50	पी.बी-3: 15,600-39,100 (ग्रेड पे 5,400 से 7,600)
डी - सहायक	0.75 से 1.00	पी.बी-2: 9,300-34,800 (ग्रेड पे 4,200 से 5,400)
ई - सहायक स्टाफ	0.25 से 0.50	पी.बी-1: 5,200-20,200 (ग्रेड पे 1,800 से 2,800)

एन.एम.सी.जी. ने भारत सरकार के अंतर्गत निर्धारित वेतनमानों से ज्यादा प्रतिमाह माह समेकित पैकेजों को अपनाया।

एन.एम.सी.जी. ने कहा (अगस्त 2017) कि एन.एम.सी.जी. के वेतनमान विश्व बैंक द्वारा परिभाषित थे, क्योंकि उपरोक्त स्थितियाँ एन.जी.आर.बी.ए. को विश्व बैंक सहायता हेतु मंत्रिमंडल नोट (अप्रैल 2011) के द्वारा सृजित की गई थी।

मंत्रिमंडल नोट (अप्रैल 2011) बिना वेतनमान के एन.एम.सी.जी. हेतु केवल पदों के बारे में अनुबंधित करता है। एन.एम.सी.जी. ने कहा (अगस्त 2017) कि वेतनमान के पुनरीक्षण के मुद्दे की देय अवधि में जाँच की जाएगी।

[92] समूह बी (वरिष्ठ विशेषज्ञ) ₹ 1.50 लाख से ₹ दो लाख, समूह सी (विशेषज्ञ) ₹ एक लाख से ₹ 1.5 लाख, समूह डी (सहायक) ₹ 75 हजार से ₹ एक लाख, समूह ई (सहायक स्टाफ) ₹ 25 हजार से ₹ 50 हजार

7.4 निष्कर्ष

गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के अंतर्गत गंगा जीर्णोद्धार कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु सृजित संगठनात्मक ढाँचें में एन.एम.सी.जी., एस.पी.एम.जी. तथा सी.पी.सी.बी./ एस.पी.सी.बी. ने मानव संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ा।

7.5 अनुशंसा

हम अनुशंसा करते है कि

(i) एन.एम.सी.जी. रिक्तियों को भरने हेतु एन.एम.सी.जी. तथा एस.पी.एम.जी. दोनो स्तरों पर परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु भर्ती नियम तैयार तथा संस्वीकृत पदों की संख्या में वृद्धि कर सकता है।